

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़े सब कहे
राज्य परियोजना कार्यालय,

उम्र० तकी के लिए शिक्षा परियोजना परिवर्त, शिक्षा भवन, विसामांड, लखनऊ -226 007

प्रेषक:

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान,
उम्र०, लखनऊ।

सेवा में

जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद,
उम्र०।

पत्रांक: उम्र०नि०/ ३५४७ / 2011-12

दिनांक: १८ अक्टूबर, 2011

विषय: उम्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली के परिवेद्य में
जनपद के सभी विद्यालयों की स्कूल डायरेक्ट्री बनाने एवं सभी विद्यालयों का
डायस 2011-12 डाटा तैयार करने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या-उम्र०नि०/717/2011-12
दिनांक 20 मई, 2011 एवं पत्रांक कम्प्यूटर अनुभाग/1197/2011-12 दिनांक 20 जून, 2011 तथा
पत्रांक: समीक्षा बैठक/एमआईएस./2677/2011-12 दिनांक 6 सितम्बर, 2011 के द्वारा जनपद
के सभी विद्यालयों की स्कूल डायरेक्ट्री बनाने एवं तदनुसार सभी विद्यालयों का डायस 2011-12
तैयार करने के निर्देश दिये गये थे।

2. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति वर्ष कक्षा 1-5 तक कक्षा 6-8 तक की कम्प्यूटराइज्ड शैक्षिक सांख्यिकी तैयार करायी जाती है। यिंगत वर्षों की शैक्षिक सांख्यिकी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कक्षा 1-5 की शैक्षिक सांख्यिकी शासकीय/परिषदीय विद्यालयों से काफी सीमा तक प्राप्त हो जाती है किन्तु मान्यता प्राप्त विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों के साथ संलग्न प्राथमिक कक्षाओं के आंकड़े प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण इन्डीकेटर्स ठीक प्रकार से प्रदर्शित नहीं हो पाते।
3. उल्लेखनीय है कि कक्षा 6-8 की शैक्षिक सांख्यिकी में काफी गैप है क्योंकि मुख्यतः बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आंकड़े ही प्राप्त हो रहे हैं, जबकि काफी विद्यालय कक्षा 6-8 के मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6-8 की कक्षाओं में संचालित जिनके कोई आंकड़े प्राप्त न होने के कारण उच्च प्राथमिक विद्यालय लेवल पर अत्यधिक न्यून इन्डीकेटर्स प्राप्त होते हैं जो वास्तविकता से काफी कम होते हैं तथा प्रदेश के शैक्षिक सांख्यिकी को सही रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं।
4. माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उम्र० शासन द्वारा पत्रांक:
शिर०नि०(मा०)/डायस/2165/2011-12 लखनऊ, दिनांक 09 अगस्त, 2011 (छायाप्रति

सलग्न) द्वारा समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया जा चुका है। तदनुसार अपने जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक से समन्वय करके सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों का डायस डाटा (भरे हुए डाटा कैचर फार्मेट) प्राप्त करें।

5. सी०वी०एस०ई० बोर्ड, नवोदय विद्यालय समिति एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उनके मान्यता प्राप्त विद्यालयों को डायस डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं (छायाप्रति सलग्न)। इन विद्यालयों को स्कूल डायरेक्ट्री में सम्प्रिलित करते हुए भरे हुए डाटा कैचर फार्मेट प्राप्त करें, जिन विद्यालयों द्वारा डायस डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाता है उनको अनुस्मारक पत्र प्रेषित करें, जिसकी छायाप्रति सम्बन्धित बोर्ड के मुख्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बीसिक) कार्यालय एवं राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित करें।

उपरोक्तानुसार अविलम्ब समस्त विद्यालयों की ब्लाकवार स्कूल डायरेक्ट्री बनाते हुए समस्त विद्यालयों से डायस डाटा प्राप्त करें। उ०प्र० निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 प्रख्यापित की गयी है जिसके परिप्रेक्ष्य में सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को डायस की सूचना निर्धारित डाटा कैचर फार्मेट में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। तदनुसार जिला बीसिक शिक्षा अधिकारी सभी विद्यालयों से वर्ष 2011–12 का डायस डाटा समयबद्ध आधार पर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। जिन विद्यालयों द्वारा बांधित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये जायें उनके विलम्ब नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

संलग्नक: लक्तवत्।

मंवदीय,

~~१०५
१०५~~
(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ०सं०: रा०प०नि०/ ३५४८/ २०११–१२

तददिनांक।

प्रतितिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आधारक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद, उ०प्र०।
2. शिक्षा निदेशक (बीसिक) उ०प्र० लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ०प्र० लखनऊ।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बीसिक) समस्त मण्डल, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल के जनपदों द्वारा सभी विद्यालयों की स्कूल डायरेक्ट्री एवं डायस डाटा 2011–12 समयबद्ध आधार पर तैयार कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद उ०प्र०।

~~१०५
१०५~~
(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

जनपदवार विद्यालयों का विवरण (स्कूल डायरेक्ट्री)

जनपद का नाम—

प्राथमिक (कक्षा 1-5)	उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8)	प्राथमिक उच्च प्राथमिक सहित (कक्षा 1-8)	झगर सेकेप्ट्री (कक्षा 9-10)	इंपटर्मीडिएट (कक्षा 1-12)	इंफ्रारेफ्रीट्रीट (कक्षा 6-12)
जनपद में विद्यालयों की जाति	जनपद में विद्यालयों की जाति	जनपद में विद्यालयों की जाति	जनपद में विद्यालयों की जाति	जनपद में विद्यालयों की जाति	जनपद में विद्यालयों की जाति
परिषदीय विद्यालय					
लोकतंत्र बाड़ीज विद्यालय					
राइबल एवं सोशल बैलफोर विद्यालय					
महायता प्राप्त अशासनीय विद्यालय (भौतिक शिक्षा विभाग) (Aided)					
सहायता प्राप्त अशासनीय विद्यालय (भौतिक शिक्षा विभाग) (Aided)					
वाद्यालय विद्यालय					
मन्दिर प्राप्त ग्रन्त महायता प्राप्त विद्यालय (भौतिक शिक्षा विभाग)					
(Recognised)					
मन्दिर प्राप्त ग्रन्त महायता प्राप्त विद्यालय (भौतिक शिक्षा विभाग) (Recognised)					
लो. बी. एस.ई. से मान्यता प्राप्त विद्यालय					
आई.सी.एस.सी. से मान्यता प्राप्त विद्यालय					
नवोदय विद्यालय					
के-नीय विद्यालय					
सीनिक विद्यालय					
केन्द्रीय विद्यालय					
अनुदानित विद्यालय					
अन्य (यदि कोई है तो उसका विवरण दे)					
योग					

हस्ताक्षर

ईरप्पत्तार्डस० हृचार्जे

जनपद का नाम

हस्ताक्षर
जिला बोरिक शिक्षा अधिकारी
जनपद का नाम

प्राप्तिकर्ता/संस्थान

प्रेषण,

शिला निदेशक, (नायनगढ़),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संवाद में,

जिला विद्यालय निदेशक,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: रिजिस्ट्रेशन/चायत/9165/2011-12 संख्या, दिनांक 09 अगस्त, 2011

विषय: वर्ष 2011-12 की कम्प्यूटराइज्ड रोलिंग सांख्यिकी के संबंध में।

नहावद/नहावदम्,

सर्व जिला अधिकारी के अन्तर्गत प्रतिक्रिया कम्प्यूटराइज्ड रोलिंग सांख्यिकी (चायत) एकत्रित की जाती है। इस हेतु जिला बैसिक रिजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा प्राप्तव्रत छात्राकार विद्यालयों को उपलब्ध कराये जाते हैं तथा ऐसिक सांख्यिकी की सूचना भरने की तारीख तिथि 30 सितम्बर, रवीना जाती है।

राज्य स्तर पर सर्व रिजिस्ट्रेशन अधिकारी के अन्तर्गत ऐसिक सांख्यिकी का संकलन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आता है कि नायनगढ़ विद्यालयों के साथ भौतिक प्राच्यनिक कक्षाओं तथा तात्त्व 6-8 की सूचना के प्राप्तव्रत नायनगढ़ विद्यालयों द्वारा भरकर जिला बैसिक रिजिस्ट्रेशन अधिकारी कार्यालय की उपलब्ध गती कराये जा रहे हैं। इदेश में सभी प्रकार के नायनगढ़ विद्यालयों की कुल संख्या लगभग 18000 है जबकि वर्ष वर्ष सर्व जिला अधिकारी के अन्तर्गत ऐसिक विद्यालय सांख्यिकी (चायत) में खेत्र 2016 विद्यालयों की सूचना आपत्ति हुई है। कलस्करण कक्षा 1-8 तक की प्राच्यनिक शिला के भौतिक भवनों में विद्यालयों की संख्या जिला अधिकारी की संख्या वार्ताविक से कम प्रदर्शित होती है तथा ऐसिक इंसीफेटर्स में भ्रदेश की वास्तविक उपलब्धि परिलेखित नहीं हो सकती है।

उपर्युक्त परिणाम में आपको विवेचित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार ऐसिक सांख्यिकी के उपत्र जिला बैसिक रिजिस्ट्रेशन अधिकारी से प्राप्त कर लें तथा उपर्युक्त स्तर से समस्त नायनगढ़ विद्यालयों (राज्यीय, नहावदीय ग्राम और जनपदीय विद्यालय, नायनगढ़ ग्राम और सहायता ग्राम विद्यालय, आदि) को विज्ञान सुनिश्चित करें तथा 30 सितम्बर, 2011 के बाद सभी विद्यालयों से भरे हुए प्राप्त जिला बैसिक रिजिस्ट्रेशन अधिकारी को 31.10.2011 तक उपलब्ध कराने की आवश्यक सुनिश्चित करें। उपर्युक्त कार्य नड़तपूर्ण एवं समयमुद्धृत है। अतः उचित होगा कि इस कार्य के लिए जारी नियमों को नवगत कर दें।

इस कार्य में किसी प्रकार भी विविहता न बरती जाय।

*भूषण
१. ९.४.११*

(संचय गोहन)
रिजिस्ट्रेशन अधिकारी (नायनगढ़)
उत्तर प्रदेश

पत्रांक: रिजिस्ट्रेशन/चायत/9165/2011-12 तददिनांक
प्रतिलिपि:

1. नायनगढ़ीय संस्कृत रिजिस्ट्रेशन, समस्त भौतिक, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृप्या अपने मण्डल में उक्त आवश्यक सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर अनुश्रवण भी करने का करें।
2. नायनगढ़ीय संस्कृत रिजिस्ट्रेशन अधिकारी, समस्त जनपद उपर्युक्त चायत निदेश के साथ प्रेषित कि कार्यक्रम संख्या में प्राप्त जिला विद्यालय निदेशक को उपलब्ध करायें तथा समन्वय समाप्ति करें।
3. जिला बैसिक रिजिस्ट्रेशन अधिकारी, समस्त जनपद उपर्युक्त चायत निदेश के साथ प्रेषित कि कार्यक्रम

१. ९.५.११
(संचय गोहन)
रिजिस्ट्रेशन अधिकारी (नायनगढ़)
उत्तर प्रदेश

Gram: CENBOSSEC, Delhi - 92
E-Mail: cbossec@vsnl.net.in
website: www.cbossec.nic.in

Phone: 22509256-58
Fax: 22515826



CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Union Ministry of
Human Resource Development Govt. of India)
"SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI - 110 301

Dated: 20.10.2009

CBSE/AFF/Circular No. 3/2009

Circular No. 3/2009

All the Heads of Institutions affiliated with the CBSE

Subject: Providing of Schoolwise Data for District Information System of Education (DISE) and Secondary Education Management and Information System (SEMIS).

Dear Sir/Madam,

The Government of India has launched Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan to spread education and to raise quality of schools in the country.

One of the major thrust areas in implementing the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) is collection of data for Educational Management Information System (EMIS). The EMIS covers, the District Information System for Education (DISE), household survey and child tracking system. The objective of the system is to analyse data collected through various sub-systems and highlights issues that needs to be addressed in the process of planning, implementation, evaluation, monitoring and mid-course correction for SSA. DISE is an annual exercise to collect school-wise data on enrolment, physical infrastructure, teacher and student performance etc. as on a uniform date of 30th September, 2009.

The scheme of Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, also undertook an annual exercise of data collection through a programme of comprehensive Secondary Education Management and Information System (SEMIS) for planning and identification of shortfall in secondary education in the country. SEMIS data is collected through survey conducted by the agencies of various State/U.T Governments. The data to be provided for this programme shall be updated up to 30th September, 2009.

The Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India has made an observation that the data collected through District Information System of Education (DISE) for the above programmes does not figure the data pertaining to the schools affiliated to Central Board of Secondary Education. It has also been brought to our notice that the CBSE affiliated schools are not providing data concerning their schools.

In this context your attention is invited to Rule 13.3 of Affiliation Bye-Laws of CBSE which prescribe that "the school shall supply information and return called for by the Board/State or Central Government within the prescribed time given for its furnishing to the authority concerned". Any non co-operation or default in timely submission of information asked by the State/Central Government Authorities can lead to invoking of provisions against school under rules of Affiliation Bye-Laws.

All the Heads of Institutions affiliated to CBSE are, therefore, requested to cooperate with various Government Agencies in the process of collection of information through District Information System of Education (DiSE) and Secondary Education Management and Information System(SEMIS). They shall also ensure submission of data to the authorities of DiSE and SEMIS within the stipulated time period.

With regards,

Yours faithfully,

(Joseph Emmanuel)
Deputy Secretary

Copy for kind information to:-

- ✓ 1. Ms. Anita Kaul, Joint Secretary (EE.II), Govt. of India, MHRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi-110115.
2. Sh. Satish Nambudiripad, Director, Govt. of India, MHRD, Department of School Education & Literacy, Shastri Bhawan, New Delhi-110115.

Joseph Emmanuel
Deputy Secretary

卷之三

500 100

2023-11-09 10:40:00

संस्कृत अध्ययन
प्राचीन

Rangat Jamuda
145
Commentaries



1992-1993 / 1993-1994
2000-2001 / 2001-2002
2001-2002 / 2002-2003
2002-2003 / 2003-2004
2003-2004 / 2004-2005
2004-2005 / 2005-2006

कोनकीय विद्यालय संसाधन Kondike Vidyalaya Sangath

पर्याप्त विद्युति = 10000 / 100 = 1000

D.O. No. F 310331/2/2009-KVSHQVAcmy/

Dated: 8th October, 2020

Dear Mr. Cook

Agropos your O.O. letter No. F.16-3/2004-BE.14 Dated: 16.09.2009, I would like to say that instructions to all Regional Offices of ICAR and Kendriya Vidyalayas have already been issued to extend all cooperation to NUEPA as and when they approach for collecting DISE data. As on date neither NUEPA nor any State Department has contacted any Kendriya Vidyalaya in this regard. I once again assure you that all Kendriya Vidyalayas will extend maximum cooperation as and when NUEPA/any State Department approaches any Kendriya Vidyalaya for this purpose.

best regards,

Youngindirect

(Pengaruh Jarak)

Mr. Anil Kasi
Joint Secretary(EE.S)
Min. of HRD, Shashi Tharoor,
New Delhi.

27234153, 34, 35 & 37
NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI
(Ministry of Human Resource Development,
Government of School Education & Literacy)
Ganguly Bhawan
A-28, Kailash Colony, New Delhi-110048

F-1-4/2004 (M.C) Agency Fr.

Copy to : - 2009

The Deputy Commissioner
Navodaya Vidyalaya Samiti
All Regional Offices


Sub : To provide the data to NUEPA authorities regarding Educational Management Information System --reg

Sir/Madam:

Enclosed please find a copy of letter No 16-3/2009-EE.14 dated 18th September 2009 from Joint Secretary (EE.II), Ministry of HRD regarding furnishing of school-wise data on enrolment, physical infrastructure, teachers and students performance being compiled by NUEPA.

You are requested to provide the required information to NUEPA under intimation to this office.

End: As above


(M.S. Khanna)

Joint Commissioner (Pers.)

Copy to

- 1/ The Joint Secretary, (EE.II), Ministry of HRD, Departt. Of School Education & Literacy, Shashi Bhavan, New Delhi for information
- 2/ Prof. Arun C. Mehta, NUEPA, 17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110 016 for information

(M. V. P.)/M

केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन

CENTRAL TIBETAN SCHOOLS ADMINISTRATION

मानव संसाधन विकास मंत्रालय Ministry of Human Resource Development
तिब्बती विद्या एवं विद्यालय विभाग वाराणसी
(Department of School Education & Literacy, Govt. of India)
पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत CTSA विद्यालय समुदाय समीक्षा केंद्र
विहार-3 विहार, लिंगोली - 110009 गोपीनाथ भट्टखाल, दिल्ली - 110062
फ़ॉन: 011-4516771, 4516772, 21116771, 21116772, 21116773, 21116774
फॉक्स: 011-4516771, 4516772, 21116771, 21116772, 21116773
E-Mail: ctsa@vsnl.com

F.No: 22-55/09-CTSA / Acad.)

Date: c 6/10/2009

The Principal/Headmaster
CST _____.

Subject: Educational Management Information System (EMIS)
Sir/Madam,

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) is an important project of Government of India and Educational Information System (EMIS) plays a vital role in the success of the project. This Administration has received instructions from MHRD regarding Educational Management Information System (EMIS) under Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) framework which covers primarily the District Information System for Education (DISE), household survey and child tracking system. The objective of the system is to analyse data collected through various sub-system and flag issues which need to be addressed in the process of planning, implementation, evaluation, monitoring and mid course correction of SSA. DISE is an annual exercise with a uniform record dated of 30th September.

The National University of Educational Planning and Administration (NUEPA) is in the process of collecting the DISE data school-wise on commitment, physical infrastructure, teacher and student performance oriented data in structured data capture format (DFC). The required data for EMIS is also to be collected from all CSTs by the authorities.

You are, therefore, requested to prepare data base concerned to your school in the master and extend your fullest cooperation to State Government, NUEPA authorities by providing the required data as and when the concerned authorities contact your school.

Yours faithfully,


M. V. V. PRASADA RAO
DIRECTOR

Kopy to: Ms. Anita Kaul, Joint Secretary (EE II), Department of School Education & Literacy, MHRD, Status: Bhaavishya teek information, with reference to Dr. letter no. F. 16-3/2009-EE 14 dated 19th September 2009